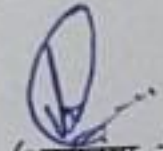


संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

प्रस्तावक विभाग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कार्यान्वयन इकाई, बरेली द्वारा जनपद-शाहजहाँपुर एवं हरदोई के अन्तर्गत प्रस्तावित शाहजहाँपुर-हरदोई-लखनऊ मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग-सं०-731) किमी० 88.750 से 123.650 के चारलेन मध्य कुल 34.9 किमी० की दूरी में मार्ग का 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण से प्रभावित वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 08.2022 को वन विभाग के साथ किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय प्रस्तावक विभाग के अधिकृत प्रतिनिधि श्री आकांश दीक्षित, स्थलीय अभियन्ता एवं श्री टी.सी. पन्त क्षेत्रीय वन अधिकारी, रेंज शाहजहाँपुर, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग शाहजहाँपुर के द्वारा किया गया। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

1. शाहजहाँपुर-हरदोई-लखनऊ मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग-सं०-731) किमी० 88.750 से 123.650 के चारलेन मध्य कुल 34.9 किमी० की दूरी में मार्ग के चौड़ीकरण कार्य के अंतर्गत जनपद-शाहजहाँपुर में प्रभावित भूमि क्षेत्रफल 10.9075 हे० एवं जनपद-हरदोई में 1.2540 हे० कुल 12.1615 हे० भूमि उ०प्र० शासन की विज्ञप्ति सं०-1115/14-331-50 दिनांक 10 फरवरी 1960 द्वारा संरक्षित वन घोषित है। मार्ग चौड़ीकरण कार्य 12.1615 हे० वन भूमि की बनेत्तर कार्य हेतु लिया जाना प्रस्तावित है।
2. प्रस्तावित मार्ग चौड़ीकरण में बाधक वृक्षों की प्रजातिवार, ब्यासवार सूची संलग्न है।
3. प्रस्तावक विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लंघन कार्य नहीं किया गया है। मार्ग चौड़ीकरण कार्य की अनुमति उच्च स्तर से मिलने के बाद ही कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
4. भू स्वामित्व विभाग लो०नि०वि० के स्वामित्व वाले संरक्षित वन भूमि पर मार्ग चौड़ीकरण से प्रभावित भूमि 12.1615 हे० भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी



(आकांश दीक्षित)
स्थलीय अभियन्ता
भा०रा०रा०प्रा०, बरेली।



(टी.सी. पन्त)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
शाहजहाँपुर।

प्रभागीय निदेशक
सा०वा० वन एवं वन्य जीव
शाहजहाँपुर।